सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत विवरण

तारकिशोर प्रसाद

उप मुख्य (वित्त) मंत्री

वर्ष 2022

बिहार सरकार

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत विवरण

तारकिशोर प्रसाद
उप मुख्य (वित्त) मंत्री

वर्ष 2022

विषय सूची

विषय	*पृष्ठ*
1. प्रस्तावना	
2. अध्याय-I: राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	1-2
3. अध्याय-II: वृह्रत आर्थिक रूपरेखा विवरण	3-14
1 राज्य की अर्थव्यवस्था का विस्तृत अवलोकन	3-4
2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि	4-6
3 अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्त्तन	7-8
4 राज्य का राजकोषीय प्रबंधन	9-13
5 आर्थिक विकास की संभावनाएँ	14
4. अध्याय-III: मध्यावधि राजकोषीय नीति	15-25
1 राजस्व प्राप्तियाँ	19
2 पूंजीगत प्राप्तियाँ	20
3 कुल व्यय	21-22
4 राज्य सकल घरेलू उत्पाद	23-23
5 संवहनीयता का निर्धारण	23-24
5. अध्याय-IV: राजकोषीय नीति कार्य योजना	25-38
1 राजकोषीय नीतिः एक विस्तृत विचार	25-26
2 आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय नीति	26-27
3 ऋण एवं आकस्मिक दायित्व	27
4 आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्यनीति और प्राथमिकताएँ	28-37
5 नीति मूल्यांकन	37

प्राक्कथन

राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं टिकाऊ बनाने हेतु राज्य सरकार ने 'न्याय के साथ विकास' मिशन को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की है । इसके लिए सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का होना आवश्यक है । राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व को कानूनी रूप दिया और वित्तीय वर्ष 2006 से इसे हर वित्तीय वर्ष विधान मंडल के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है ।

पिछले दो वर्षों में पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था एवं राजकोषीय नीति में उल्लेखनीय बदलाव देखा गया है । कोविड-19 महामारी एवं 'लॉक डाउन' की वजह से वित्तीय व्यवस्था में यह बदलाव स्वाभाविक भी था । ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के लिए वित्तीय अनुशासन का पालन करना चुनौतीपूर्ण रहा ।

यह विवरण राज्य सरकार की राजकोषीय नीति एवं वित्तीय अनुशासन का व्यापक सिंहावलोकन है । इस विवरण द्वारा राज्य सरकार के राजकोषीय कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ विधान मंडल के दोनों सदनों के पटल पर रखा जा रहा है ।

अध्याय- I

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 को राज्य सरकार ने 18 फरवरी, 2006 को लागू किया था । चूंकि बजट एक गतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है, इसलिए अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय सुदृढ़ता के उद्देश्य से इस अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है । राज्य सरकार इस राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम का संजिदगी से पालन करती आ रही है ।

राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय प्रबंधन के क्षेत्र में अनेकों नीतिगत एवं त्वरित कदम उठाये गये हैं, जो एफ०आर०बी०एम० अधिनियम को पूर्णतया पालन कराने में कारगर सिद्ध हुआ है । बिहार के अर्थव्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय नीति में समय-समय पर परिवर्तन किया जाता रहा है । इसी कड़ी में वैश्विक आर्थिक मंदी के उपरांत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा के अनुपात वित्तीय वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा वित्तीय वित्तीय वर्ष 2010-11 में क्रमशः 4.00 प्रतिशत तथा 3.50 प्रतिशत रखा गया था । पुनः वित्तीय वित्तीय वर्ष 2011-12 में इसे 3.00 प्रतिशत कर दिया गया ।

14वें वित्त आयोग ने पुनः वित्तीय वित्तीय वर्ष 2015-20 के लिए एफ०आर०बी०एम० अधिनियम में बदलाव की अनुशंसा की थी। राज्य सरकार ने इस अधिनियम में वर्ष 2016 में अपेक्षित संशोधन कर 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा का अक्षरशः पालन किया ।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऋण अधिसीमा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.00 प्रतिशत कर दिया था, जिसमें 1.5 प्रतिशत की वृद्धि सशर्त की गयी थी । पुनः वित्तीय वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस अधिसीमा को घटाकर 4.5 प्रतिशत किया गया, जिसमें 1.00 प्रतिशत की सशर्त वृद्धि शामिल थी । वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के राजकोषीय अधिनियम में यह बदलाव वैश्विक महामारी, आर्थिक मंदी एवं 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के परिणाम

स्वरूप किया गया । भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा की सीमा को पुनः घटा कर राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 4.00 प्रतिशत किया गया है जिसमें 3.5 प्रतिशत सामान्य अधिसीमा है ।

कोविड-19 ने वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरा आघात दिया है । इसके बावजूद राज्य एवं केन्द्र सरकार ने संरचनात्मक सुधार के उपायों को कार्यान्वित करते हुए प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने की कोशिश की । बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-5 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 का एफ०आर०बी०एम० विवरण बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत है, जो निम्न तीन विवरणों के साथ उपस्थापित है :-

(क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण,

(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण,

(ग) राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण।

अध्याय-II

वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में वैश्विक महामारी का दौर रहा है । वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर (-)3.5 प्रतिशत था । इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई, जिसकी वजह से आर्थिक वृद्धि दर (-)3.0 प्रतिशत था, परंतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है । वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार भी इस आर्थिक मंदी से अछूता नहीं रहा और आर्थिक वृद्धि दर मात्र 2.5 प्रतिशत ही रहा । **उल्लेखनीय है कि यह वृद्धि दर भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक था ।** राज्य सरकार की नीतियों और पहल के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में 9.8 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9.7 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त होने का अनुमान है ।

1. राज्य अर्थव्यवस्था का विस्तृत अवलोकन

वित्तीय वर्ष 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर के सोपान पर बिहार पूरे देश में पहले स्थान पर रहा । इस दौरान देश के ज्यादातर राज्यों में ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि दर्ज हुई थी, जबकि बिहार में धनात्मक आर्थिक वृद्धि दर दर्ज किया गया । इस दौरान कृषि एवं सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज किया गया है । पिछले तीन वर्षों में राज्यवार आर्थिक वृद्धि दर को तालिका 'क'-I में दर्शाया गया है ।

देश के प्रमुख राज्यों के आर्थिक वृद्धि मामले में यह वर्णन करना हर्षदायी होगा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार लगातार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है । वित्तीय वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार 10.9 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर दर्ज करने के साथ देश में सर्वोच्च्य आर्थिक वृद्धि दर को हासिल किया । वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार तीसरे स्थान पर रहा । वित्तीय वर्ष 2020-21 अनिश्चितता वाला वित्तीय वर्षरहा था, जिसमें देश के लगभग सभी राज्यों ने ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि दर दर्ज किया, परन्तु बिहार में यह 2.5 प्रतिशत दर्ज हुआ, जो देश में सर्वोच्च्य वृद्धि दर था । इस प्रकार, सरकार परिपक्व राजकोषीय नीति एवं सर्वांगीण आधारभूत अधिसंरचना के विकास के फलस्वरूप राज्य देश में सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त कर पाया है ।

तालिका क-Iः राज्यवार आर्थिक वृद्धि दर

राज्य	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रूपये में)			आर्थिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)		
	2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
आन्ध्र प्रदेश	623732	668848	651624	4.88	7.23	-2.58
बिहार	381383	409645	419883	10.86	7.41	2.50
छत्तीसगढ़	237695	249875	245452	7.98	5.12	-1.77
गुजराज	1183020	1268957	NA	8.88	7.26	NA
हरियाणा	517080	559705	528070	6.12	8.24	-5.65
झारखण्ड	229274	238395	227082	8.87	3.98	-4.75
कर्नाटक	1089271	1143781	1113818	6.49	5.00	-2.62
केरल	554228	566523	501310	7.37	2.22	-11.51
मध्य प्रदेश	529425	580406	560845	6.49	9.63	-3.37
महाराष्ट्र	2033314	2134065	NA	6.20	4.95	NA
ओडिसा	386799	410261	388328	6.95	6.07	-5.35
पंजाब	397601	413578	386170	5.91	4.02	-6.63
राजस्थान	655713	688714	643222	4.94	5.03	-6.61
तमिलनाडु	1204667	1278559	1296659	7.01	6.13	1.42
उत्तर प्रदेश	1117313	1152089	1097329	5.77	3.11	-4.75
पश्चिम बंगाल	739082	784424	792720	6.35	6.13	1.06
भारत	**14003316**	**14569268**	**13512740**	**6.53**	**4.04**	**-7.25**

स्रोत : राष्ट्रीय संख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार ।

2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि

राज्य सरकार द्वारा लिए गए संस्थागत, नीतिगत तथा आर्थिक-समाजिक एवं भौतिक अधिसंरचनात्मक सुधारों की वजह से राज्य पिछले 15 वर्षों से लगातार दो अंको में आर्थिक वृद्धि दर्ज कर रहा है । यह वृद्धि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में दर्ज किया गया है। तालिका 'क'-II के द्वारा राज्य के आर्थिक विकास के दीर्घकालीन परिदृश्य को दर्शाया गया है । इस तालिका द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का पिछले 15 वर्षों में हुए आर्थिक विकास को दर्शाया गया है, जो निम्न हैः-

(i) 2004-05 से 2014-15 तथा

(ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (वर्षवार)

तालिका 'क'-II से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि में राज्य ने सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि दर को हासिल किया । परिणामस्वरूप, राज्य की वित्तीय व्यवस्था में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ, जिसके फलस्वरूप बिहार ऋणजाल से बाहर निकलने में सक्षम हो गया । राज्य सरकार के प्रति जनता का विश्वास और बाजार में राज्य की साख बढ़ी है । राज्य सरकार को कम ब्याज दर पर बाजार से ऋण प्राप्त हो रहा है । इस दौरान राज्य ने 10.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल की है । इस आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान था जो 'न्याय के साथ विकास' के मिशन को प्रमाणित करता है ।

पिछले तीन वर्षों में भी राज्य ने उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल किया है । वित्तीय वर्ष 2020-21 एक असामान्य वित्तीय वर्ष था, फिर भी सूक्ष्म प्रबंधन के कारण राज्य सरकार द्वारा 2.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना सराहनीय रहा ।

तालिका 'क'-II बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार विकास दर

(वित्तीय वर्ष 2004-05 से वित्तीय वर्ष 2020-21)

(प्रतिशत में)

क्र० सं०	क्षेत्र	2004-05 से 2014-15	2018-19	2019-20	2020-21
1	कृषि/वानिकी और मत्स्य	5.5	-1.0	0.4	3.7
1.1	फसल	-	-5.9	-6.4	-1.8
1.2	पशुधन	-	7.6	12.3	11.9
1.3	वानिकी/काष्ठ उत्पादन	-2.0	2.5	-1.6	2.8
1.4	मत्स्य एवं जलीय कृषि	5.8	2.4	6.5	6.6
2	खनन/प्रस्तर खनन	7.8	144.5	338.2	-76.6
	उप योग (प्राथमिक)	**4.9**	**-0.3**	**4.1**	**0.0**
3	विनिर्माण	6.9	-1.3	2.8	2.6
4	विद्युत/गैस/जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	7.7	53.9	8.9	5.4
5	निर्माण	17.4	9.2	0.9	1.1
	उप योग (द्वितीयक)	**13.3**	**7.7**	**2.5**	**2.2**
6	व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट	12.3	8.3	3.7	-12.7
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं		8.2	3.6	-13.2
6.2	होटल एवं रेस्टोरेंट		11.3	4.6	-4.0
7	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं	14.7	12.2	9.0	8.0
7.1	(i) रेलवे	4.7	14.2	11.2	11.2
7.2	(ii) सड़क परिवहन	11.4	13.5	10.3	7.7
7.3	(iii) जल परिवहन		64.2	14.9	-1.8
7.4	(iv) वायु परिवहन		-37.4	86.7	-1.8
7.5	परिवहन के लिए आकस्मिक सेवाएं		12.0	10.5	-1.8
7.6	भंडारण	8.9	133.9	4.5	-1.9
7.7	प्रसारण से संबंधित सेवाएं	25.1	8.1	4.0	9.8
8	वित्तीय सेवाएं	17.3	36.5	11.6	11.9
9	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व तथा व्यवसाय सेवाएं	9.6	6.3	1.7	-3.3
10	लोक प्रशासन	7.6	15.4	4.5	8.0
11	अन्य सेवाएं	8.2	21.8	14.2	4.4
	उप योग (तृतीयक)	**11.4**	**13.9**	**7.3**	**-0.1**
12	कुल जी०एस०वी०ए० (स्थिर मूल्यों पर)	**10.0**	**10.9**	**7.4**	**2.5**

नोटः- वित्तीय वर्ष 2004-05 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आधार वित्तीय वर्ष 2004-05 है ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आधार वित्तीय वर्ष 2011-12 है ।

स्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ।

3. अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन

एफ०आर०बी०एम० अधिनियम में उल्लेख है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संरचना में जो परिवर्तन होता है उसका विवरण इस दस्तावेज में दर्शाना आवश्यक है । इसका मुख्य कारण है कि आर्थिक संरचना में परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव राज्य सरकार की नीतियों, विशेष कर राजकोषीय नीति पर पड़ता है । तालिका 'क'-III द्वारा अर्थव्यवस्था में हुए दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाया गया है। तालिका में राज्य में हुए आर्थिक संरचना के तीनों प्रमुख प्रक्षेत्रों (i) प्राथमिक, (ii) द्वित्तीयक तथा (iii) तृतीयक क्षेत्र में हुए परिवर्तन को वित्तीय वर्ष 2003-04 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक दर्शाया गया है ।

तालिका 'क'-III के आंकड़ों पर प्रकाश डालने से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2014-15 के बीच तीनों ही क्षेत्रों में उच्च आर्थिक विकास दर दर्ज किया गया, परन्तु यह विकास दर सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक रहा । इसके फलस्वरूप आर्थिक संरचना के सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ और यह 52.2 प्रतिशत से बढ़कर 56.9 प्रतिशत हो गया । उद्योग क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप द्वितीयक क्षेत्र 11.7 प्रतिशत से बढ़कर 20.9 प्रतिशत हो गया । इस अवधि में कृषि क्षेत्र में 13.8 प्रतिशत अंको की गिरावट दर्ज की गयी । तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पिछले तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2020-21) के दौरान राज्य के आर्थिक संरचना में कुछ विशेष परिवर्त्तन दर्ज नहीं किया गया है । यह वर्णित करना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य के कृषि क्षेत्र में विकास दर वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के बीच अधिक रहा जिसके कारण कृषि क्षेत्र के हिस्से में ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गयी । द्वितीयक क्षेत्र के हिस्से में भी नाम मात्र की गिरावट दर्ज की गयी है । परिणाम स्वरूप तृतीयक क्षेत्र में मात्र 4.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गयी । इस प्रकार बिहार की आर्थिक संरचना से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में सुदृढ़ता आ रही है ।

तालिका 'क'-**III**ः बिहार की अर्थ व्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन

(वित्तीय वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर)

प्रक्षेत्र	**2003-04**	**2014-15**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
जी०एस०डी०पी०/जी०एस०वी०ए० का क्षेत्रीय वितरण (करोड़ रुपये में)					
प्राथमिक	18848	35884	71977	74932	74898
द्वितीयक	6129	35020	72509	74343	76010
तृतीयक	27323	118885	222506	238756	238497
कुल जी०एस०डी०पी०/जी०एस० वी०ए० (स्थिर मूल्यों पर)	52299	189789	366992	388031	389404
प्रति व्यक्ति आय बिहार (रूपये में)	6000	16801	32109	33979	34314
प्रति व्यक्ति आय भारत (रूपये में)	24143	39904	92241	94566	86659
जी०एस०डी०पी०/जी०एस०वी०ए० का आर्थिक संरचना में हिस्सा (प्रतिशत में)					
प्राथमिक	36.0	18.9	19.6	19.3	19.2
द्वितीयक	11.7	18.5	19.8	19.2	19.5
तृतीयक	52.2	62.6	60.6	61.5	61.2
कुल जी०एस०डी०पी०/जी०एस०वी०ए० (स्थिर मूल्यों पर)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
भारत में बिहार का प्रति व्यक्ति आय (प्रतिशत में)	24.9	42.1	34.8	35.9	39.6

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार।

बिहार की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के साथ-साथ प्रतिव्यक्ति आय में भी साल-दर-साल वृद्धि हुई है । राज्य द्वारा उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने के फलस्वरूप राज्य के प्रतिव्यक्ति आय तथा देश के प्रतिव्यक्ति आय के बीच की दूरी लगातार घट रही है । उल्लेखनीय है कि राज्य में यह संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक विकास एवं प्रतिव्यक्ति आय में उत्तरोत्तर वृद्धि, एफ०आर०बी०एम० अधिनियम, 2006 के लागू होने के पश्चात् ही दर्ज किया गया है, इसलिए राज्य के वित्तीय प्रबंधन का एक विस्तृत विश्लेषण आवश्यक है ।

4. राज्य सरकार का राजकोषीय प्रबंधन

बिहार सरकार ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बहुत प्रयास किये हैं, जिसमें एफ०आर०बी०एम० अधिनियम 2006 को लागू करना एवं उसका अनुपालन करना प्रमुख है । इसके अतिरिक्त, राज्य में कर सुधार, व्यय को मितव्ययी बनाना, ऋण को उत्पादकता प्रदान करना, वित्तीय घाटा को नियंत्रित करना, इत्यादि प्रमुख है । राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को अनुशासित, पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने के लिए भी समुचित पहल की है । इस क्षेत्र में डिजीटल वित्तीय व्यवस्था अपनाना सर्वप्रमुख पहल है । इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक Comprehansive Treasury Information Management System (CTMIS) तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 से Comprehansive Financial Management System (CFMS) को लागू किया गया, जो Manual वित्तीय प्रबंधन को Automated वित्तीय प्रबंधन के रूप में परिवर्तित करता है । राजकोषीय प्रबंधन में कुशलता दिखाकर, राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप संसाधनों का आवंटन करके तथा व्यय की गुणवत्ता एवं इसके परिणामों को भी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तीय प्रबंधन को सर्वोच्च महत्त्व दिया गया है । वित्तीय प्रबंधन के प्रमुख चार स्तंभ निम्नवत हैं:-

(i) राजस्व प्रबंधन, (ii) व्यय प्रबंधन, (iii) ऋण प्रबंधन एवं (iv) घाटा प्रबंधन

4.1 राजस्व प्रबंधन

राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई प्रयास किये हैं । वर्ष 2006 में मूल्य-सवंर्धित कर प्रणाली एवं वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू किया गया । इसके साथ-ही कर प्रणाली को सुगम तथा सुलभ बनाने के लिए Digital कर प्रणाली की शुरूआत भी की गयी थी । Online Government Revennue Accounting System (OGRAS) को लागू किया गया । इसके माध्यम से राजस्व संग्रहण विभाग द्वारा संग्रह किए गए कर एवं गैर-कर राजस्व सीधे राज्य सरकार के खाते में जमा होता है । वित्तीय वर्ष 1990-91 से वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान कुल राजस्व प्राप्ति में 3.7 गुणी वृद्धि हुई थी, जिसके कारण राजस्व प्राप्ति 4,193 करोड़ रूपये

(वित्तीय वर्ष 1990-91) से बढ़कर 15,714 करोड़ रूपये (वित्तीय वर्ष 2004-05) हो गया था । इसके पश्चात् वित्तीय वर्ष 2004-05 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल राजस्व प्राप्ति 15,714 करोड़ रूपये (वित्तीय वर्ष 2004-06) से बढ़कर 1,96,705 करोड़ रूपये (वित्तीय वर्ष 2022-23) हो गया है । यह वृद्धि लगभग 12.5 गुणी है । राजस्व प्राप्ति में यह वृद्धि राज्य सरकार की कड़ी मेहनत और राजस्व संग्रहण के क्षेत्र में हुए विभिन्न सुधारों की वजह से संभव हुआ है ।

इस दौरान राज्य के राजस्व-संरचना में भी उल्लेखनीय परिर्वतन देखा गया है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्ति में राज्य का अपना राजस्व 24 प्रतिशत, केन्द्रीय करों में हिस्सा के रूप में 46 प्रतिशत तथा केन्द्रीय अनुदान के रूप में 30 प्रतिशत प्राप्त होना अनुमानित है ।

4.2 व्यय प्रबंधन

राज्य में CFMS लागू करने के पश्चात् राज्य के व्यय प्रबंधन को पारदर्शिता देने के साथ-साथ उपयोगिता को भी बढ़ाया गया है, जिसके फलस्वरूप व्यय प्रणाली का अनुश्रवण एवं प्रबंधन अत्यन्त सरल एवं सुविधाजनक हो गया है।

वित्तीय वर्ष 1990-91 में कुल व्यय 4,952 करोड़ रूपये था जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2004-05 में 20,058 करोड़ रूपये हो गया था। इस दौरान कुल व्यय में चार गुणी वृद्धि दर्ज की गई थी, जबकि राजस्व व्यय में भी 2.2 गुणी वृद्धि हुई थी ।

राज्य सरकार ने विकासात्मक व्यय पर प्रमुखता से बल दिया है, जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2004-05 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के बीच विकास मूलक व्यय में 13.1 गुणी वृद्धि दर्ज की गई है । जबकि इसी अवधि में गैर-विकासात्मक व्यय में 9.9 गुणी वृद्धि दर्ज की गयी है । यदि हम राज्य के व्यय का कार्यात्मक वर्गीकरण करेंगे तो यह तीन प्रकार की सेवाओं के रूप में विभाजित होगी यथाः- सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ तथा आर्थिक सेवाएँ । वित्तीय वर्ष 2004-05 से तीनों सेवाओं का हिस्सा क्रमशः 37.7 प्रतिशत, 23.83 प्रतिशत एवं 17.14 प्रतिशत था, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रमशः 27.82 प्रतिशत, 40.20 प्रतिशत एवं 25.25 प्रतिशत होने का अनुमान है । राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से यह परिलक्षित होता है कि वित्तीय प्रबंधन में आर्थिक

एवं समाजिक सेवाओं को उच्च प्राथमिकता दी गयी है । वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय प्रबंधन में आर्थिक सुधार एवं कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिए अनेक सुधारों को ध्यान में रखकर परिवर्तन किया गया है। यह जनता के प्रति राज्य सरकार की कटिबद्धता को दर्शाता है ।

4.3 ऋण प्रबंधन

राज्य सरकार ने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए राज्य में ‘लॉक डाउन’ लगाया तथा इस दौरान कई तरह से कर-राहत प्रदान किये, जिसके फलस्वरूप आर्थिक मंदी के साथ-साथ मिले कर-राहत के कारण राजस्व प्राप्ति में अपेक्षित वृद्धि दर्ज नहीं हो पायी । इसके विपरीत जनहित में लिये गये बहुत से निर्णय के कारण व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार को अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता पड़ी। अतः राज्य सरकार ने इस भयावह स्थिति से उबरने हेतु ज्यादा ऋण लेने का निर्णय लिया। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यह ऋण प्रतिपूर्ति क्षमता की सीमा में है ।

वित्तीय वर्ष 1993-94 में कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात 64.7 प्रतिशत था, जो वित्तीय वर्ष 2004-05 में 55.5 प्रतिशत हो गया था । इस दौरान राज्य की वित्तीय व्यवस्था ऋण जाल में फँस चुकी थी । वर्ष 2006 में एफ०आर०बी०एम० अधिनियम लागू होने के बाद राज्य ऋण जाल से बाहर निकल पाया । वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपाल 32.6 प्रतिशत हो गया था, वैश्विक महामारी एवं आर्थिक मंदी के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में 38.6 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 38.7 प्रतिशत अनुमानित है । ज्ञात हो कि यह ऋण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर और उनके द्वारा स्वीकृत होता है ।

4.4 घाटा प्रबंधन

किसी भी सरकार के वित्तीय प्रबंधन को घाटा प्रबंधन से आसानी से समझा जा सकता है। घाटा प्रबंधन में मुख्य रूप से तीन प्रकार के घाटा को नियमित किया जाता हैः- राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा ।

राज्य सरकार ने जब से एफ० आर० बी० एम० अधिनियम लागू किया गया है तब से राजस्व घाटा समाप्त हो गया है और राज्य सरकार ने राजस्व अधिशेष अर्जित किया है । परन्तु वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 की विपरीत परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप राज्य ने वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रमशः 1,784 करोड़ रूपये एवं 11,325 करोड़ रूपये का राजस्व घाटा दर्ज किया । उल्लेखनीय है कि एफ० आर० बी० एम० अधिनियम में यह प्रावधान है कि प्राकृतिक आपदा, गरीबी को कम करने के प्रयास, मानव विकास इत्यादि पर खर्च के लिए राजस्व व्यय बढ़ाया जा सकता है फलस्वरूप राजस्व घाटा होना स्वभाविक है । इसी आलोक में राज्य सरकार ने लोक उपयोगी योजनाओं पर खर्च कर इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए बहुत से उपाय किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 में 11,325 करोड़ रूपये का राजस्व घाटा दर्ज हुआ था । परन्तु पुनः वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रमशः 9,195 करोड़ रूपये एवं 4,748 करोड़ रूपये का राजस्व अधिशेष अनुमानित है ।

इसी प्रकार वर्ष 2006 से ही राजकोषीय घाटा भी एफ० आर० बी० एम० अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा एवं राज्य सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 4.8 प्रतिशत हो गया था । यह भी भारत सरकार एवं बिहार एफ० आर० बी० एम० अधिनियम (संशोधन 2020) द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत की सीमा में ही है । वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा क्रमशः 2.97 प्रतिशत एवं 3.47 प्रतिशत अनुमानित है ।

इस प्रकार राज्य सरकार ने घाटे का वित्तीय प्रबंधन करके आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है तथा मानव विकास को प्राथमिकता दी है । वित्तीय वित्तीय वर्ष 2020-21 की वास्तविकी तथा 2021-22 एवं 2022-23 बजट अनुमान के प्रमुख राजकोषीय सूचकों का रूझान तालिका क-3 में दर्शाया गया है ।

तालिका क-3ः- प्रमुख राजकोषीय सूचकों का रूझान

राशि करोड़ रूपये में

अनु० क्र०	मदें	पूर्व वर्ष 2020-21 (वास्तविकी)	चालू वर्ष 2021-22 (बजट अनुमान)	आगामी वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान)	वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2021-22 में परिवर्त्तन (प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2022-23 में परिवर्त्तन (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	**128168.35**	**186267.29**	**196704.51**	45.33	5.60
2	कर राजस्व	**90203.11**	**126230.60**	**132567.60**	39.94	5.02
	(क) संघीय करों में राज्य का अंश	59861.44	91180.60	91180.60	52.32	0.00
	(ख) राज्य सरकार के कर-राजस्व	30341.67	35050.00	41387.00	15.52	18.08
3	राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	**6201.36**	**5505.47**	**6135.62**	-11.22	11.45
4	केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	**31763.88**	**54531.21**	**58001.29**	71.68	6.36
5	पूंजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	**36735.49**	**32235.41**	**41187.43**	-12.25	27.77
6	ऋणों की वसूली	820.43	430.20	431.55	-47.56	0.31
	लोक ऋण (7+8)	35915.06	31805.21	40755.88	-11.44	28.14
7	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	29412.30	28905.21	37845.88	-1.72	30.93
8	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	6502.76	2900.00	2910.00	-55.40	0.34
9	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	**164903.84**	**218502.70**	**237891.94**	32.50	8.87
10	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	**102291.82**	**117783.84**	**137460.94**	15.14	16.71
11	राजस्व खाते पर जिसमें	**95292.40**	**108484.40**	**122603.30**	13.84	13.01
12	(क) ब्याज भुगतान	12484.09	14517.41	16305.03	16.29	12.31
12	(ख) पेंशन	19635.15	21817.15	24252.29	11.11	11.16
12	(ग) वेतन	20658.91	27236.91	29749.57	31.84	9.23
13	पूंजीगत खाते पर (क+ख+ग+घ)	**6999.43**	**9299.43**	**14857.64**	32.86	59.77
	(क) राज्य का आन्तरिक ऋण	5936.89	7613.21	12927.41	28.24	69.80
	(ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	943.58	1481.23	1742.62	56.98	17.65
	(ग) पूंजीगत व्यय	14.88	100.00	67.10	572.04	-32.90
	(घ) ऋण एवं पेशगियाँ	104.08	105.00	120.51	0.88	14.77
14	स्कीम व्यय	**63404.66**	**100518.86**	**100230.25**	58.54	-0.29
	(क) वार्षिक स्कीम	**63176.54**	**100000.00**	**100000.00**	58.29	0.00
	(ख) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	228.12	518.86	230.25	127.45	-55.62
15	राजस्व खाते पर	44201.06	68586.99	69353.37	55.17	1.12
16	पूंजीगत खाते पर	19203.60	31931.88	30876.88	66.28	-3.30
17	कुल व्यय (10+14)	**165696.48**	**218302.70**	**237691.19**	31.75	8.88
18	राजस्व व्यय (11+15)	139493.46	177071.39	191956.67	26.94	8.41
19	पूंजीगत व्यय (13+16)	26203.03	41231.31	45734.52	57.35	10.92
20	राजस्व घाटा (18-1)	11325.11	-9195.90	-4747.84		
21	राजकोषीय घाटा **{17-(1+6+13क+13ख)}**	29827.23	22510.78	25885.11		
22	प्राथमिक घाटा (23-12क)	17343.14	7993.37	9580.07		
23	जी.एस.डी.पी.	**618628.00**	**757026.00**	**745310.00**		
24	राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी.	4.82%	2.97%	3.47%		
25	ब्याज भुगतान /कुल राजस्व प्राप्तियाँ	9.74%	7.79%	8.29%		

स्रोत-वित्त लेखा ।

5. आर्थिक विकास की संभावनाएँ

राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक प्रयास किये हैं । सुशासन के कार्यक्रम के तहत सात निश्चय-I (वित्तीय वर्ष 2015-20) को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् सात निश्चय-II (वित्तीय वर्ष 2020-25) को मिशन के रूप में लागू किया गया है । इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू किया गया । पुनः जून 2020 में इसमें यथोचित संशोधन किया गया, जिससे राज्य में निजी निवेश का माहौल बन सके । उद्योग के क्षेत्र में, राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना ''मुख्यमंत्री उद्यमी योजना'' की शुरूआत कर राज्य में उद्योग के लिए एक समुचित वातावरण बनाने की कोशिश की है । इन उद्यमियों के बेहतर प्रदर्शन के फलस्वरूप अन्य निवेशकर्मी भी प्रोत्साहित होकर राज्य में निवेश करेंगे, जिससे राज्य में निजी निवेश की प्रबल संभावनाएँ दिखेंगी ।

कृषि क्षेत्र में भी विपणन से लेकर व्यावसायिक खेती तक अपार संभावनायें मौजूद हैं । कृषि को व्यावसायिक बनाना होगा । साथ ही कृषि उत्पाद को भण्डारित करने के लिए भण्डारागार की भी जरूरत होगी । प्रतिस्पर्धा बाजार में कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए उचित व्यवस्था कर इसे निर्यात से भी जोड़ना होगा । इस प्रकार कृषि क्षेत्र का सर्वांगिण विकास करना होगा, जिससे राज्य के युवा कृषि को अपना व्यवसाय के रूप में अपनाकर राज्य एवं स्वयं के विकास में योगदान दे सकें ।

सम्प्रति राज्य में कुशल एवं तकनीकी युवाओं की कमी नहीं है, जिससे सेवा क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएँ है । जहाँ एक ओर कॉल सेंटर, सूचना प्रौद्योगिकी, अभियंत्रण आदि क्षेत्रों में अपार संभावनाएँ हैं, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा ई०-कॉमर्स के क्षेत्रों में भी असीमित अवसर मौजूद हैं । इन सभी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार गर्म-जोशी के साथ कार्य कर रही है । राज्य सरकार अपनी नीतियों एवं योजनाओं के द्वारा निजी क्षेत्र को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है । आगामी वर्षों में बिहार में निजी निवेश की प्रबल संभावनाएँ है ।

अध्याय-III

मध्यावधि राजकोषीय नीति

विदित है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को चुनौती पूर्ण आर्थिक परिवेश में प्रस्तुत किया गया था, जब अर्थव्यवस्था कोविड-19 की वैश्विक महामारी के प्रभाव से जूझ रही थी । राज्य सरकार पूर्व वर्ष के बजट (वित्तीय वर्ष 2021-22) तथा इस वर्ष के बजट (वित्तीय वर्ष 2022-23) के द्वारा आर्थिक पुनरूत्थान के साथ-साथ वित्तीय समेकन के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रही है । राज्य सरकार ने विवेकपूर्ण प्रबंधन द्वारा राजकोषीय घाटा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3.4 प्रतिशत तक रखा है । इससे पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध होगा और राज्य में अर्थव्यवस्था को नयी गति मिलेगी ।

राज्य सरकार की राजकोषीय नीति कई कारकों से प्रभावित होती है । राजकोषीय नीति किसी भी सरकार के समग्र आर्थिक दिशा को परिलक्षित करती है । विगत वर्षों में देश के वित्तीय ढांचा में काफी परिवर्तन आया है । योजना आयोग के परिसमापन, राज्यों को अधिक मात्रा में केन्द्रीय करों का (विशिष्ट योजनागत स्कीमों से अनिबद्ध) अंतरण के लिए चौदहवें एवं पन्द्रहवें वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन और केंद्र प्रायोजित स्कीमों की संख्या में कमी के साथ-साथ राज्य द्वारा दिये जाने वाले मैचिंग ग्रांट (Matching Grant) मे वृद्धि के कारण अन्य सभी राज्यों की तरह बिहार की राजकोषीय नीति पर भी इन परिवर्तनों का असर हुआ है । इसके अतिरिक्त हाल के दो वर्षों में वैश्विक महामारी के साथ-साथ आर्थिक मंदी ने राज्य की राजकोषीय नीति को काफी प्रभावित किया है ।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 से ही राजस्व घाटा समाप्त करने के पश्चात राजस्व अधिशेष सृजित किया जाता रहा है । वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक राज्य में कुल राजस्व बचत 75,043 करोड़ रूपये किया गया था । इस राजस्व बचत के फलस्वरूप राज्य में भौतिक-सामाजिक अधिसंरचना (सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल, इत्यादि) का निर्माण किया गया । इस बीच वैश्विक महामारी कोविड-19 तथा आर्थिक मंदी के मद्देनजर राज्य सरकार में अपनी राजकोषीय नीति में समय की

मांग को देखते हुए अपेक्षित बदलाव किये हैं । वित्तीय वर्ष 2020-21 में 11,325 करोड़ रूपये का राजस्व घाटा मुख्य रूप से कोविड-19 एवं आर्थिक मंदी से निपटने के लिए हुआ था, जिसमें राज्य सरकार ने कई लोक कल्याणकारी निर्णय लिये और लोगों को सरकारी सुविधा एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराये । भारत सरकार एवं 15वें वित्त आयोग ने राज्य की ऋण सीमा में भी अतिरिक्त वृद्धि की अनुशंसा की है, जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर है । इस अतिरिक्त वित्त व्यवस्था से राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः नये चाल से बढ़ने में मदद मिलेगी । इस राजकोषीय नीति के द्वारा राज्य में निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करने की कोशिश की गयी है ।

अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार बिहार सरकार राजकोषीय नीति एवं वित्तीय प्रबंधन को विवेकपूर्ण ढंग से समय-समय पर बदलती रही है । राज्य की राजकोषीय नीति अन्तर्गत राजस्व अधिशेष निर्मित करने के साथ-साथ इस अधिशेष का उपयोग भविष्य में राज्य की आय बढ़ाने वाली पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है ।

राज्य सरकार द्वारा राजस्व घाटा 2004-05 में ही समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद के वर्षों में राजस्व अधिशेष (वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर) सृजित होता रहा है । वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में राज्य की राजस्व प्राप्ति 1,96,705 करोड़ रूपये एवं राजस्व व्यय 1,91,957 करोड़ रूपये अनुमानित है, जिससे राजस्व लेखे में 4,748 करोड़ रूपये का राजस्व अधिशेष होगा । वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल राजकोषीय घाटा 25,885 करोड़ रूपये अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.47 प्रतिशत के बराबर होगा । यह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा विहित 3.5 प्रतिशत (शर्त रहित) की सीमा के अन्तर्गत है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,748 करोड़ रूपये के राजस्व अधिशेष से पूंजीगत परिव्यय का वित्तपोषण अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक बकाया लोक ऋण 2,88,107 करोड़ रूपये होना अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 38.66 प्रतिशत के बराबर होगा । राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकोषीय प्रबंधन के पथ पर विवेकपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही है । इस राजकोषीय नीति से राज्य के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव आया है । राज्य सरकार द्वारा भौतिक

अधिसंरचना के निर्माण के साथ-साथ सामाजिक अधिसंरचना को भी मजबूत किया जा रहा है । राजकोषीय नीति का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के मानक में सुधार लाना है । पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार ने लोक वित्त के प्रबंधन में बेहतर राजकोषीय अनुशासन दिखाया है । व्यय का न्यायोचित वितरण, राजस्व के टिकाउपन में वृद्धि, निम्न प्राथमिकता वाले ऋृणों में कमी और अतिवांछित अधिसंरचना में निवेश में वृद्धि इसका समुचित उदाहरण है । इस विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप गत दशक से आर्थिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है । गरीबी में 20 प्रतिशत से भी अधिक की गिरावट आई है । साक्षरता दर में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है तथा कृषि क्षेत्र में भी व्यापक सुधार हुआ है । उपर्युक्त पहल के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन के सिद्धांतों से समझौता किए बगैर राज्य सरकार विकासमूलक व्यय का उच्च स्तर बनाए रखने में सक्षम रही है ।

तालिका ख.1: राजकोषीय संकेतक-परिवर्त्तनीय लक्ष्य

(राशि करोड़ रू० में)

क्र0 सं0	मद	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	बजट अनुमान	लक्ष्य		
		2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	सकल घरेलू उत्पाद	527976.00	594016.00	618628.00	757026.00	745310.00	812387.90	889564.75
2	राजस्व बचत	6896.64	-1784.12	-11325.11	9195.90	4747.84	5175.15	5666.78
3	राजकोषीय घाटा	13806.77	14723.93	29827.23	22510.78	25885.10	24371.64	26686.94
4	लोक ऋण वित्तीय वर्षके अन्त में शेष	126145.06	148180.26	177214.86	201466.71	238126.69	262498.33	289185.27
5	कर राजस्व	103011.27	93564.31	90203.11	126230.60	132567.60	144498.68	158226.06
6	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूपया में राजस्व बचत	1.31	-0.30	-1.83	1.21	0.64	0.64	0.64
7	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूपया में कुल राजकोषीय घाटा	2.62	2.48	4.82	2.97	3.47	3.00	3.00
8	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूपया में कुल कर राजस्व	19.51	15.75	14.58	16.67	17.79	17.79	17.79
9	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूपया में लोक ऋण	23.89	24.95	28.65	26.61	31.95	32.31	32.51

स्त्रोतः- जी०स०डी०पी० हेतु ।

वर्ष	विभाग/मंत्रालय	पत्रांक	दिनांक
2018-19	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	रा0आ0(वि0)/05/2021-1172	27/09/2021
2019-20	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	40(6)पीएफ-एस० /2017-18	04/04/2019
2020-21	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	रा0आ0(वि0)/05/2021-1172	27/09/2021
2021-22	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	पत्रांक-40(2)पी०एफ०-एस०/2020 - 21	31/03/2021
2022-23	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	रा0आ0(वि0)-05/2021/1172	27/09/2021
2023-24	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	रा0आ0(वि0)-05/2021/1172	27/09/2021
2024-25	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	रा0आ0(वि0)-05/2021/1172	27/09/2021

राजकोषीय संकेतक का पूर्वानुमान-

(1) राजस्व प्राप्तियाँ :-

(क) कर-राजस्व - कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों का अंतरण सम्मिलित है । वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा 91,180.60 करोड़ रूपये अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के कर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 41,387.00 करोड़ रूपये है जिसमें वाणिज्यकर विभाग से 32,387.00 करोड़ रूपये, निबंधन विभाग से 5,500.00 करोड़ रूपये, परिवहन विभाग से 3,000.00 करोड़ रूपये एवं भू-राजस्व विभाग से 500.00 करोड़ रूपये का संग्रहण किया जायेगा ।

(ख) कर-भिन्न राजस्व - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का करेत्तर राजस्व 6,135.62 करोड़ रूपये अनुमानित है, जिसमें मुख्यतः खनन एवं भूतत्व मद से 3,000.00 करोड़ रूपये, ब्याज प्राप्ति मद में 2,218.78 करोड़ रूपये एवं 310.52 करोड़ रूपये झारखण्ड राज्य सरकार से 14 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवा निवृत कर्मियों को भुगतान की गयी पेंशन की दायित्व की राशि से प्राप्त होनी है ।

(ग) कुल कर राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का हिस्सा - कुल कर राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 35,050.00 करोड़ रूपये अनुमानित है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 41,387.00 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान किया गया है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल कर-राजस्व में अपने कर-राजस्व का हिस्सा 31.22 प्रतिशत अनुमानित है ।

(घ) कर-भिन्न राजस्व - वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर-भिन्न राजस्व 6,135.62 करोड़ रूपये होने की संभावना है जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 5,505.47 करोड़ रूपये से 630.15 करोड़ रूपये अधिक है ।

(2) पूंजीगत प्राप्तियाँ :-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत प्राप्तियां 41,187.43 करोड़ रूपये होने की संभावना है जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 32,235.41 करोड़ रूपये से 8,952.00 करोड़ रूपये अधिक है ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता निम्नानुसार रहेगी-

(क) <u>केन्द्र से उधार तथा अग्रिम</u> - वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं के मद में बाह्य एजेंसियों से 2,910.00 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है ।

(ख) <u>बाजार ऋण</u> - वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाजार ऋण के अंतर्गत 35,170.00 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है । उल्लेखनीय है कि बाजार ऋण की उगाही भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के माध्यम से की जाती है ।

(ग) <u>वित्तीय संस्थानों से उधार</u> - वित्तीय वर्ष 2022-23 में नाबार्ड से 2,600.00 करोड़ रूपये ऋण प्राप्त होने का अनुमान है । उल्लेखनीय है कि यह ऋण जिन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत होता है उन परियोजनाओं के कार्य की अद्यतन प्रगति के आधार पर ऋण प्राप्त होता जाता है । यह ऋण प्राप्ति का सबसे सस्ता स्रोत है ।

(घ) <u>उधारों तथा अग्रिमों की वसूली</u> - 31 मार्च 2021 तक राज्य का 21,743.77 करोड़ रूपये उधार तथा अग्रिम बकाया है । उधार एवं अग्रिम का बड़ा भाग (15,865.97 करोड़ रूपये) ऊर्जा प्रक्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये उधार का बकाया है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऋणों की वसूली अन्तर्गत 431.55 करोड़ रूपये अनुमानित है ।

(ङ) <u>बकाया दायित्व - लोक ऋण तथा अन्य दायित्व</u> - वित्तीय वर्ष 2020-21 की वास्तविकी के अनुसार मार्च 2021 की समाप्ति पर लोक ऋण 1,77,214.84 करोड़ रूपये है । राज्य के अन्य दायित्व (लोक लेखा में अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आरक्षित निधियाँ एवं जमा एवं पेशगियाँ) 49,980.66 करोड़ रूपये हैं । इन दोनों को शामिल करने के उपरांत कुल बकाया दायित्व 2,27,195.50 करोड़ रूपये का है ।

तालिका ख.2: राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र० स०	प्रवर्ग	वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2020 को शेष राशि	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्ति			वित्तीय वर्ष के दौरान वापसी अदायगी			शेष राशि (31 मार्च को)		
			पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
			2020-21 (वास्तविकी)	2021-22 (पुनरीक्षित)	2022-23 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविकी)	2021-22 (पुनरीक्षित)	2022-23 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविकी)	2021-22 (पुनरीक्षित)	2022-23 (बजट अनुमान)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	आन्तरिक ऋण										
(i)	बाजार उधार	132057.65	27285.00	30702.10	35170.00	2600.09	4000.13	9100.11	132057.65	158759.62	184829.51
(ii)	एन0एस0एस0एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूतियां	15853.95	0.00	0.00	0.00	1888.35	1888.35	1888.35	15853.95	13965.60	12077.25
(ii)	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार इत्यादि	9287.75	2127.30	2671.33	2675.88	1448.46	1568.18	1704.67	9287.74	10390.90	11362.11
(iv)	बन्ध पत्र	2350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	156.55	234.28	2350.70	2194.15	1959.87
(v)	अन्य ऋण	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45	7.45	7.45
(vi)	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आन्तरिक ऋण	159557.50	29412.30	33373.43	37845.88	5936.90	7613.21	12927.41	159557.49	185317.72	210236.19
2	केन्द्र से ऋण	17657.34	6502.76	10547.00	2910.00	943.57	1481.23	1742.62	17657.35	26723.12	27890.50
	कुल लोक ऋण	**177214.84**	**35915.06**	**43920.43**	**40755.88**	**6880.47**	**9094.43**	**14670.03**	**177214.84**	**212040.84**	**238126.69**
3	लोक लेखा (अन्य दायित्व)	49980.66	72517.24	29200.00	38310.98	67738.18	29200.00	38310.98	49980.66	49980.66	49980.66
	योग	**227195.50**	**108432.30**	**73120.43**	**79066.86**	**74618.65**	**38294.43**	**52981.01**	**227195.50**	**262021.50**	**288107.35**

(3) <u>कुल व्यय</u> :

राज्य सरकार के कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है । राजस्व लेखे में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय तथा स्कीम व्यय को सम्मिलित किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्राक्कलन के अनुसार स्कीम व्यय के अन्तर्गत राजस्व व्यय 69,353.37 करोड़ रूपये एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राजस्व व्यय 1,22,603.30 करोड़ रूपये अनुमानित है ।

(क) **राजस्व लेखा** - राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान शामिल है ।

(i) वेतन - वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वेतन मद में 29,749.57 करोड़ रूपये के भुगतान का अनुमान है । इसके अतिरिक्त स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से वेतन लोक उपक्रम एवं अन्य संस्थाओं के

कर्मियों को वेतन मद में सहायक अनुदान की राशि 11,217.77 करोड़ रूपये जिसमें विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन एवं पेंशन मद में सहायक अनुदान के रूप में 4,144.44 करोड़ रूपये का भुगतान अनुमानित है ।

(ii) ब्याज भुगतान - वित्तीय वर्ष 2022-23 में 16,305.03 करोड़ रूपये का ब्याज भुगतान अनुमानित है ।

(iii) पेंशन - पेंशन मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 24,252.29 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है ।

(ख) **पूंजीगत लेखा** - पूंजीगत लेखा के अंतर्गत मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय, लोक ऋण तथा उधार एवं अग्रिम शामिल है ।

(i) पूँजीगत परिव्यय - राज्य के पूँजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, बिजली तथा सिंचाई जैसी अधिसंरचनाओं के विकास हेतु किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत परिव्यय अन्तर्गत 29,749.64 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है ।

(ii) लोक ऋण - वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक ऋण में 14,670.03 करोड़ रूपये अनुमानित है जिसमें राज्य के आंतरिक ऋण के विरूद्ध 12,927.41 करोड़ रूपये की राशि और केन्द्र सरकार से लिए गये कर्ज तथा अग्रिम के मद में 1,742.62 करोड़ रूपये का व्यय अनुमान है ।

(iii) उधार तथा अग्रिम - वित्तीय वर्ष 2022-23 में उधार तथा अग्रिम मद में 1,314.85 करोड़ रूपये अनुमानित है ।

(4) राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) :

योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) का पत्र सं० 1172, दिनांक-27.09.2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2011-12) 7,45,310 करोड़ रूपये अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2020-21 की वास्तविकी में राज्य सकल घरेलू उत्पाद 6,18,628 करोड़ रूपये है ।

(5) संवहनीयता का निर्धारण

(i) <u>सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन</u> - राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टतः राजस्व व्यय, की अपेक्षा प्राप्तियों की दर में और अधिक तेजी से वृद्धि हो । वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति जी०एस०डी०पी० का 24.61 प्रतिशत है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके 26.39 प्रतिशत रहने की संभावना है । वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में राज्य के अपने कर राजस्व का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 4.6 प्रतिशत है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में इसके 5.6 प्रतिशत रहने की संभावना है । वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के लिए केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 12.04 प्रतिशत है और यह वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट अनुमान में 12.23 प्रतिशत संभावित है ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 7.79 प्रतिशत अनुमानित है, जिसके वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में 8.29 प्रतिशत हो जाने की संभावना है ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित बजट अनुमान के अनुसार कुल ऋण दायित्व का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 38.56 प्रतिशत अनुमानित है । इस अनुपात के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में 38.66 प्रतिशत रहने की संभावना है ।

(ii) <u>स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान</u> - वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट प्राक्कलन के अनुसार 27,236.91 करोड़ रूपये व्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्राक्कलन में 29,749.51 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान किया गया है । पेंशन मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट प्राक्कलन के अनुसार 21,817.15 करोड़ रूपये व्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्राक्कलन में 24,252.29 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है ।

राज्य द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा आवश्यकता के आलोक में ऋण लेने के कारण ब्याज भुगतान के व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है । ब्याज भुगतान मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार 14,517.41 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 16,305.03 करोड़ रूपये भुगतान किये जाने का अनुमान है ।

(iii) <u>पूँजीगत प्राप्तियाँ जिसमें बाजार ऋण भी सम्मिलित हैं, का उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये उपयोग</u> - राज्य के द्वारा राजस्व बचत की स्थिति वित्तीय वर्ष 2004-05 में ही प्राप्त कर ली गई थी एवं लगातार राजस्व बचत की स्थिति बनाये रखी गई है । सभी पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु यथा सिंचाई, सड़क तथा पुलों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के निर्माण में किया जा रहा है । आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है ।

(iv) <u>आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना</u> - वित्तीय वर्ष 2022-23 में पेंशन मद में 24,252.29 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2022-23 से आगे के वर्षों के लिए 9 प्रतिशत की वृद्धि दर को आधार मानकर आकलन किया गया है ।

तालिका ख.3: अगले 10 वर्षो के लिए प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का ब्यौरा

वर्ष	राशि करोड़ रूपये में
2020-21	19635.15
2021-22	21817.15
2022-23	24252.29
2023-24	26435.00
2024-25	28814.15
2025-26	31407.42
2026-27	34234.09
2027-28	37315.15
2028-29	40673.52
2029-30	44334.13
2030-31	48324.21

अध्याय-IV

राजकोषीय नीति कार्य योजना

(1) <u>राजकोषीय नीति - विस्तृत विचार</u> :- राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूँजीगत व्यय को बढ़ाना है, जिससे सामाजिक एवं भौतिक अधिसंरचना में निवेश किया जा सके । इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में भी सहायता मिलेगी । साथ ही समावेशी विकास की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों में भी राजस्व व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है । इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक गैर-योजना राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है । पूर्व के वर्षों में आर्थिक विकास की दर में सुधार होने के कारण कर-संग्रहण में वृद्धि देखी गई है ।

बजट अनुमान के अनुसार राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में 5.60 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । राज्य के अपने कर-राजस्व में वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 18.08 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । कर-भिन्न राजस्व में वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 11.45 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है ।

राज्य का राजस्व बचत वित्तीय वर्ष 2021-22(बजट अनुमान) 9,195.90 करोड़ रूपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,747.84 करोड़ रूपये अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2021-22 (बजट अनुमान) 22,510.78 करोड़ रूपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25,885.10 करोड़ रूपये अनुमानित है । यह राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2021-22 (बजट अनुमान) के राज्य सकल घरेलू उत्पाद 7,57,026.00 करोड़ रूपये (आधार वर्ष 2011-12) का 2.97 प्रतिशत था । वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद 7,45,310.00 करोड़ रूपये (आधार वर्ष 2011-12) का 3.47 प्रतिशत है, जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 की निर्धारित सीमा 3.5 प्रतिशत के अन्तर्गत है ।

(2) <u>आगामी वित्तीय वर्ष के लिये राजकोषीय नीति</u> :- चूंकि भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जी०एस०टी०) अधिनियम 2017 में लागू किया गया है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा भी बिहार राज्य में जी०एस०टी० अधिनियम को राज्य के विधान मंडल से पारित कराने के उपरांत लागू किया गया है और इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

(अ) **व्यय नीतिः-** स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में अनुत्पादक व्यय में कमी करना, वार्षिक स्कीम व्यय में वृद्धि करना, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक राशि प्राप्त कर उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है ।

राज्य की बजट प्रस्तुतीकरण व्यवस्था में लागू किए गये कुछ अन्य सुधार निम्नानुसार हैं :-

(क) **परिणाम बजटः-** राज्य सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम दर्शाने के लिए ''परिणाम बजट'' की पहल वित्तीय वर्ष 2006-07 में शुरू की गयी थी । इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ''परिणाम बजट'' विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ख) **जेण्डर बजटः-** महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की वचनबद्धता ''जेण्डर बजट'' से परिलक्षित होती है । ''जेण्डर बजट'' के अन्तर्गत महिलाओं को लाभन्वित करने वाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिससे इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण किया जा सके । ''जेण्डर बजट'' वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रस्तुत किया जा रहा है । इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु भी ''जेण्डर बजट'' विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ग) **बाल कल्याण बजटः-** राज्य की जनसंख्या में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का महत्वपूर्ण अनुपात है एवं राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है । ''बाल कल्याण बजट'' के अन्तर्गत बच्चों के कल्याण की योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का विवरण अंकित होता है । ''बाल कल्याण बजट'' वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रस्तुत किया जा रहा है । इसी क्रम में वित्तीय

वर्ष 2022-23 हेतु भी बाल कल्याण बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(घ) **उपलब्धि प्रतिवेदनः**- वित्तीय वर्ष 2006-07 से उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की परिपाटी रही है । उपलब्धि प्रतिवेदन एक ऐसा माध्यम है, जिससे व्यय के उपरान्त समीक्षा द्वारा व्यय की उपयोगिता, सरकार के वित्तीय संव्यवहारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है । प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत संबंधित वित्तीय वर्ष का उपलब्धि प्रतिवेदन तैयार कर जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2021-22 का उपलब्धि प्रतिवेदन जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(3) ऋण एवं आकस्मिक दायित्व :- राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है, तत्पश्चात निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है । इसके परिणामस्वरूप पूंजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुए पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा सकी है । वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आन्तरिक ऋण एवं केन्द्र सरकार के ऋणों की वापसी के लिए ‘‘निक्षेप निधि’’ का गठन किया गया है । 31 मार्च 2021 तक इस निक्षेप निधि में ब्याज सहित जमा राशि 5831.86 करोड़ रूपये है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

तालिका ग.1: निक्षेप निधि विवरणी

(राशि करोड़ रूपये में)

मद	1 अप्रैल 2020 को शेष	वित्तीय वर्ष 2020-21 में निक्षेप निधि से विनिवेश	निवेश पर ब्याज	31 मार्च 2021 को अवशेष
निक्षेप निधि	**7683.02**	**2600.00**	**91.74**	**5831.86**

(4) <u>आगामी वित्तीय वर्ष के लिये कार्यनीति एवं प्राथमिकताएँ</u>

(I). ''न्याय के साथ विकास'' के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए आगामी 5 वर्षों में बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम 2020-2025 के तहत् **आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2** (2020-2025) कार्यक्रम को सम्पूर्ण राज्य में लागू किया गया है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम के लिए कुल बजट प्रावधान 5,000.00 करोड़ रूपये किया गया है ।

आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के तहत् क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् हैः-

1. युवा शक्ति- बिहार की प्रगति

सात निश्चय के तहत बिहार में युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाये गये हैं । उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद करने हेतु स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कम्प्यूटर, संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने हेतु कुशल युवा जैसे कार्यक्रमों को चलाया गया है । ये सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे । अब इनके साथ-साथ युवाओं के लिए बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें । साथ ही बिहार में उद्यमिता को और बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि युवा स्वयं उद्यमी बन सकें और अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें ।

- **संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना**
  पिछले पाँच वर्षों में जिला एवं अनुमण्डल स्तर पर कई संस्थानों का निर्माण किया गया है । इसी क्रम में अब राज्य के प्रत्येक आई०टी०आई० एवं पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा ।
- हर जिले में मेगा-स्किल सेन्टर (मार्गदर्शन, नयी स्किल में प्रशिक्षण)
  वैसे युवा जो आई०टी०आई० एवं पॉलीटेक्निक में नहीं पढ़ रहे हैं और नए कौशल का प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, उनके लिए हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा ।

- **टूल रूम (हर प्रमण्डल में)**

  प्रत्येक प्रमण्डल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा ।

- **स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग (आई०टी०आई०/पॉलीटेक्निक संस्थान सहित)**

  स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०), पॉलीटेक्निक संस्थान को समाहित किया जाएगा।

- केन्द्र सरकार की योजना के तहत तकनीकी शिक्षा हिन्दी माध्यम में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा ।

- बिहार में चिकित्सा शिक्षा एवं अभियंत्रण शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी । साथ ही बिहार में खेल-कूद को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी, राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ।

- **उद्यमिता विकास हेतु अनुदान/प्रोत्साहन**

  युवाओं को नया उद्यम अथवा व्यवसाय शुरू करने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपये तक) का अनुदान दिया जाएगा तथा 50 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपये तक) का ऋण मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा ।

- सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नये अवसर सृजित किए जाएंगे ।

2. सशक्त महिला, सक्षम महिला

- महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजना-

  महिलाओं द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रूपये तक) का अनुदान तथा 50 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रूपये तक) का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा ।

- उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन-

  इन्टर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को रु० 25,000 तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को रु० 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी ।

- क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी ।

3. हर खेत तक सिंचाई का पानी

इसके तहत् हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा ।

4. **स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँवः-** इसके तहत् निम्नांकित कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे-

- सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाईट ।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन ।
- पूर्व की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण ।
- पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास ।

5. **स्वच्छ शहर-विकसित शहरः-** इसके तहत् निम्नांकित कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे :-

- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन ।
- वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल ।
- शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन ।
- सभी शहरों में एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण ।
- सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जायेगा, जिससे कि जल-जमाव की कोई समस्या न हो ।

6. सुलभ सम्पर्कता

इसके तहत् ग्रामीण पथों की संपर्कता एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा ।

7. **सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाः-** इसके तहत् निम्नांकित कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे :-

(i) बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ :-

- इसके तहत् कॉल सेन्टर एवं मोबाईल एप की मदद से डोर स्टेप सेवा की व्यवस्था एवं प्रत्येक 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी ।
- देशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी ।

(ii) गाँव-गाँव तक लोगों के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता :-

- इसके तहत् टेलीमेडिसीन के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा प्रदान की जाएगी ।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर एवं विस्तारित किया जाएगा ।
- राज्य सरकार द्वारा हृदय में छेद के साथ जन्में बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गयी है तथा इसके लिए **'बाल हृदय योजना'** लागू की गयी है ।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यक्रम को भी लागू किया जाएगा :-

- कोरोना वैक्सीन का निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है ।
- विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए ''डिजिटल काउन्सलिंग सेंटर'' की स्थापना की जाएगी ।
- केन्द्र सरकार के सहयोग से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से दलहन की खरीद की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा ।
- राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटाबेस संधारित किया जाएगा ।

(II). <u>जल-जीवन-हरियाली अभियान</u>

विगत वर्षो में जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वर्षापात में कमी एवं भू-गर्भ जल का अत्यधिक दोहन करने के कारण भू-जल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है । दक्षिणी बिहार के साथ-साथ उत्तरी बिहार में भी भू-जल स्तर में गिरावट हो रही है । इस आपदाजनक स्थिति पर दिनांक-13.07.2019 को बिहार विधान मंडल के सेंट्रल हॉल में विधान मंडल के माननीय सदस्यों की संयुक्त बैठक में विमर्श किया गया । इसमें प्राप्त सुझावों एवं परामर्शों के आलोक में बिहार सरकार द्वारा जल-जीवन-हरियाली अभियान प्रारंभ किया गया है । विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन स्थापित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को इस अभियान का नोडल

विभाग नामित किया गया है । इस अभियान के द्वारा जनमानस को जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है ।

<u>जल-जीवन-हरियाली मिशन</u>

जल-जीवन-हरियाली अभियान को मिशन मोड में क्रियान्वित किये जाने हेतु, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा नियमित अनुश्रवण के लिए **''जल-जीवन-हरियाली मिशन''** नामक संस्था का गठन सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत् किया गया है । इसके संचालन हेतु एक समिति गठित है । इसके शासी निकाय में कुल 16 सदस्य है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव, बिहार हैं । कार्यकारिणी समिति में 30 सदस्य हैं जिसके अध्यक्ष विकास आयुक्त, बिहार हैं ।

<u>जल-जीवन-हरियाली का उद्देश्य</u>

बढ़ती जनसंख्या, मानवीय गतिविधि एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न पारिस्थितिकीय चुनौतियों से निपटने तथा राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन का संधारण करने के व्यापक एवं बहुआयामी उद्देश्य से जल को प्रदूषण मुक्त रखने, इसके स्तर को संतुलित बनाये रखने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, हरित (वृक्ष/वन) आच्छादन को बढ़ावा देने, नवीकरणीय उर्जा के उपयोग एवं उर्जा की बचत पर बल देने तथा बदलते पारिस्थितिकीय परिवेश के अनुरूप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को नये आयाम देने के लिए विभिन्न विभागों और विशेषज्ञों के समन्वयन से जल-जीवन-हरियाली, अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

इस अभियान द्वारा जलवायु परिवर्त्तन के दुषपरिणाम के प्रति जागरूकता हेतु प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार (अवकाश की स्थिति में अगले दिन बुधवार) पूर्वाह्न 11:00 बजे से 12:00 बजे तक **''जल-जीवन-हरियाली दिवस''** मनाये जाने का निर्णय लिया गया है । यह कार्यक्रम सचिवालय से लेकर पंचायत स्तर तक सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है ।

<u>योजना से संबद्ध विभागः-</u>

- ग्रामीण विकास विभाग
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

- लघु जल संसाधन विभाग
- नगर विकास एवं आवास विभाग
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
- पंचायती राज विभाग
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- जल संसाधन विभाग
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
- कृषि विभाग
- भवन निर्माण विभाग
- शिक्षा विभाग
- स्वास्थ्य विभाग
- सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
- ऊर्जा विभाग

<u>योजना के मुख्य अवयवः-</u>

- सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा-तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों को चिन्हित् कर अतिक्रमण मुक्त करना ।
- सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा-तालाबों/ पोखरों/ आहरों/ पईनों का जीर्णोद्धार ।
- सार्वजनिक कुँओं को चिन्हित् कर उनका जीर्णोद्धार ।
- सार्वजनिक कुँओं/चापाकलों/नलकूपों के किनारे सोख्ता/रिचार्ज/अन्य जल संचयन संरचना का निर्माण ।
- छोटी-छोटी नदियों/नालों में एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेकडैम एवं जल संचयन के अन्य संरचनाओं का निर्माण ।
- नए जलस्रोतों का सृजन एवं अधिशेष नदी जल क्षेत्र से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल ले जाना ।
- भवनों में छत-वर्षा जल संचयन की संरचना ।
- पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण ।
- वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य नई तकनीकों का उपयोग ।

- सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत ।
- जल-जीवन-हरियाली जागरूकता अभियान ।

<u>जल-जीवन-हरियाली अभियान पर व्यय :-</u>

जल-जीवन-हरियाली अभियान अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु तीन वर्षों (2019-20, 2020-21 एवं 2021-22) में कुल 24524.00 करोड़ रू0 का व्यय अनुमानित है ।

(III). 1. वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) को दिनांक-01.04.2019 से लागू किया गया है । इस प्रणाली के माध्यम से राज्य का संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाईन एवं पेपरलेस हो गया है । CFMS के अंतर्गत निम्नांकित Module को लागू किया गया है :–

a) Admin Module

b) Budget Preparation Module

c) Budget Allotment Module

d) e-Billing Module

e) Expenditure Management Module

f) Pay Bill Module

g) Account Management Module

h) Payee Management Module

i) Employee Self Service Module

j) Pension Module

k) Deposit Account Module

l) Accounts Correction& Reconciliation Module

m) Accounts Analysis Module

इसके अलावे अन्य Modules को भी CFMS 2.0 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है ।

CFMS लागू हो जाने के बाद बजट निर्माण, आवंटन तथा प्रत्यर्पण का कार्य ऑनलाईन हो गया है । इससे ससमय आवंटन उपलब्ध होने के साथ-साथ भुगतान भी ससमय हो रहा है । पेपर लेस विपत्र तैयार होने के कारण कागज की खपत में भी

कमी आयी है । कोषागार की कार्य प्रणाली पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत एवं ऑनलाईन हो गयी है । CFMS के द्वारा सभी प्रकार का भुगतान RBI के e-Kubar Portal से e-Payment के माध्यम से किया जा रहा है । सरकारी कर्मियों, संवेदकों एवं वेंडरों को इस प्रणाली के माध्यम से उनके खाते में सीधा भुगतान हो रहा है तथा उनके मोबाईल पर SMS से सूचना भी प्राप्त हो रही है, जिससे पारदर्शिता में वृद्धि हो रही है ।

2. सरकार का समस्त कर राजस्व e-Receipt के माध्यम से प्राप्त करने के लिए Online Government Revenue Accounting System (O-GRAS) कार्यरत है । इसके लिए ई-कोषागार की स्थापना की गयी है । इसके द्वारा करदाता एवं आम आदमी कहीं से भी और कभी भी राज्य सरकार के खाते में राशि जमा कर सकते हैं । सरकारी राशि जमा करने हेतु कोषागार अथवा बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है । राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति से संबंधित सभी विभागों के लिए O-GRAS लागू कर दिया गया है ।

3. **DBT-** केन्द्र प्रायोजित स्कीमों एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों को पहुचाने हेतु ई-लाभार्थी पोर्टल एवं PFMS के माध्यम से DBT किया जा रहा है, इसमें कुल 23 (तेईस) विभाग एवं कुल 143 (एक सौ तेतालीस) स्कीम शामिल है । वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 17503.09 करोड रूपये का DBT किया गया है । वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिसम्बर, 2021 तक 9151.79 करोड़ रूपये का DBT किया गया है । वर्त्तमान में DBT Portal पर सरकारी विद्यालय के कक्षा 1 से लेकर स्नातक तक कुल 1.94 करोड़ छात्र/छात्रा निबंधित है, जिनके द्वारा मुख्यमंत्री पोशाक योजना, साईकिल योजना, छात्रवृति, पाठ्य-पुस्तक, मध्याह्न भोजन, किशोरी स्वास्थ्य योजना आदि का लाभ प्राप्त किया जा रहा है । DBT Portal पर प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक के 20 लाख छात्रों/छात्राओं को भी लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया गया है । आपदा एवं राहत मद की राशि का भी भुगतान लाभुकों को सीधे उनके बैक खाते में हो रहा है । आपदा राहत अंतर्गत लगभग 26 लाख बाढ़ प्रभावित परिवार, 12 लाख शौचालय निर्माण लाभार्थी, 40 हजार एड्स रोगी, 46 लाख सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों को DBT योजना का लाभ दिया जा रहा है । कृषि विभाग की विभिन्न स्कीमों के लिए सब्सिडी आदि की राशि का भुगतान सीधे कृषकों को उनके बैंक खाते में किया जा रहा है । कृषि विभाग को DBT कृषि Portal के माध्यम से लाभ प्राप्त करने

वाले 80 लाख किसानों का एकल किसान आधार प्रमाणित डेटाबेस तैयार करने का काम सौंपा गया है ।

4. **PFMS-** CSS के नए दिशा-निर्देश के तहत सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए SNA (Single Nodal Agency) नामित किया गया है एवं Single Nodal Account खोला गया है तथा इसका PFMS Portal पर Mapping भी किया गया है ।

5. **कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल-** राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आम लाभुकों को उनके बैंक खाते में राशि का भुगतान वर्ष 2016 से किया जा रहा है। इसके तहत एन0आई0सी0 के सहयोग से ‘‘राज्य डी0बी0टी0 पोर्टल’’, ‘‘ई-लाभार्थी पोर्टल’’, ‘‘ई-कल्याण पोर्टल’’ तथा ‘‘PFMS’’ आदि पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। इससे वास्तविक लाभुकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त हो रहा है।

प्रत्येक विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों से संबंधित अलग-अलग पोर्टल पर लाभुकों का डाटाबेस तैयार किया जाता है। विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले एक ही व्यक्ति की सूचना अलग-अलग पोर्टल पर संधारित होती है। इससे आधार प्रमाणीकरण में कठिनाई होती है । इस कठिनाई को दूर करने के लिए ‘‘कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल’’ विकसित करने का निर्णय लिया गया है । वित्त विभाग ‘‘कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल’’ का नोडल विभाग होगा । सभी वर्तमान एवं संभावित लाभुक इस पोर्टल पर ‘‘आधार नंबर’’ आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से अपना निबंधन करा सकते हैं।

‘‘कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल’’ पर राज्य के सभी योजनाओं के सभी योग्य लाभुकों से संबंधित आवश्यक कॉमन सूचना संधारित की जायेगी। वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभागीय पोर्टल पर संधारित लाभुकों के कॉमन सूचना को इस पोर्टल पर स्थानांतरित किया जायेगा। इन सूचनाओं का अद्यतनीकरण एवं वैद्यीकरण (Updation and Validation) किया जायेगा। नये लाभुक अपने से संबंधित मौलिक सूचनाओं के साथ इस पोर्टल पर अपना निबंधन करा सकेंगे ।

‘‘कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल’’ पर निबंधन परिवार केन्द्रित होगा । इस पोर्टल में परिवार के मुखिया के आधार नंबर के साथ अन्य सदस्यों का आधार नंबर टैग रहेगा । परिवार के मुखिया के आधार नंबर से परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होने वाली सरकारी योजनाओं की राशि का रिपोर्ट प्राप्त किया जा सकता है । अवयस्क बच्चों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान परिवार के मुखिया के खाते में किया जा सकता है । इससे सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लाभुकों का एक महत्वपूर्ण एवं विशाल राज्य स्तरीय डाटाबेस तैयार होगा । संबंधित विभाग इसी कॉमन पोर्टल से निबंधित लाभुकों से संबंधित सूचना प्राप्त करेंगे । यदि किसी लाभुक का सोशल रजिस्ट्री पोर्टल पर निबंधन नहीं हुआ है तो संबंधित विभाग द्वारा भी उस लाभुक का निबंधन इस पोर्टल पर कराया जा सकता है ।

‘‘कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल’’ के माध्यम से राज्य सरकार को भविष्य के लिए वित्तीय भार का आकलन करने तथा कल्याणकारी नीति निर्धारण में सुविधा होगी ।

(5) <u>नीति मूल्यांकन</u>

बिहार राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार वांछित राजकोषीय जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई है । मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण वित्तीय वर्ष 2020-21 की वास्तविकी, वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्राक्कलन राजकोषीय घाटे की 3.00 प्रतिशत की अधिसीमा को ध्यान में रखते हुए अनुमानित किया गया है ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं सिद्धान्तों का अनुपालन राज्य सरकार द्वारा पूर्णरूपेण सुनिश्चित किया जा रहा है ।

****

© Copyright 2022 Finance Department, Govt. of Bihar

PRINTED AT SARASWATY PRESS LTD. (GOVT. OF WEST BENGAL ENTERPRISE), KOLKATA-700056